

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12042 / 5147

दिनांक :- 11-02-2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री उषा चौहान [लिंक न. 12042] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, जालौर - [19474] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/10/2018 से 02/10/2018 तक 2 दिवस (चिकित्सा उभाण पत्र के आधार पर)

कुल 2 दिवस

उक्त कुल 2 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री उषा चौहान की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

[हस्ताक्षर]
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12042 / 5147

दिनांक :- 11-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, जालौर
2. कोषाधिकारी जालौर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री उषा चौहान [12042] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, जालौर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली
7. कुलसचिव, कृषि, विश्वविद्यालय जयपुर।
8. कार्यालय बीसीएमओ भीनमाल।

[हस्ताक्षर]
(मुकुन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)